दशम् बिहार विधान-सभा वादवृत्त

वृहस्पतिवार, तिथि 8 जुलाई 1993 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि 8 जुलाई 1993 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 8 जुलाई, 1993 ई०

युगल किशोर सिंह
सचिव
बिहार विधान-सभा

श्री गजेन्द्र प्रसाद हिमांशु : अध्यक्ष महोदय, यह मामला नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। पटना में जल वितरण व्यवस्था वाटर बोर्ड देखती है।

अध्यक्ष : क्या नगर विकास मंत्री इस विषय पर गौर करेंगे।

श्री श्रीनारायण यादव : अवश्य गौर करेंगे अध्यक्ष महोदय।

ऋण की वसूली पर रोक

***168. श्री महेन्द्र झा आजाद :** क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

(1) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण उत्तर बिहार सूखे से भयंकर रूप से ग्रसित है फलस्वरूप लोग भूखमरी के शिकार है;

(2) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण उत्तर बिहार में बड़े पैमाने में सख्ती से सहकारिता ऋण की वसुली की जा रही है;

(3) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शीध्र सहकारिता ऋण की वसुली बन्द करना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

श्री रामदेव सिंह यादव : महोदय, दूसरे विभाग से यह प्रश्न जुड़ा हुआ है, सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग से इसलिए महेन्द्र बाबू के इस प्रश्न को दूसरे दिन के लिए स्थगित किया जाय।

अध्यक्ष : क्या भेज दिया है पुर्नवास और सहाय्य विभाग को?

श्री रामदेव सिंह यादव : जी हां, भेज दिया है।

श्री महेन्द्र झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर कब मिलेगा?

अध्यक्ष : पुर्नवास एवं सहाय्य विभाग को भेज दिया गया है, अगले दिन उसका उत्तर मिलेगा। उन्होंने (राज्य मंत्री सहकारिता) प्रश्न

पुर्नवास एवं सहाय्य विभाग को भेज दिया है। सहाय्य और पुर्नवास का जो अगला दिन होगा उसी दिन मंत्री सहाय्य उत्तर देंगे।

श्री महेन्द्र झा आजाद : यह कर्ज वसूली बैंक की तरफ से हो रही है।

श्री रामदेव सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जरा पढ़कर बता दें अपना प्रश्न तब समझूंगा कि प्रश्न कहां है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह वहां सहाय्य एवं पुर्नवास विभाग को भेज दिया है अगला जो दिन होगा....

श्री लालू प्रसाद : यह सवाल सहकारिता विभाग से संबंधित है। यह सहाय्य विभाग में कैसे चला गया। इसको देखवा लिया जायेगा। इसमें समय दे दिया जाय। यह ऋण से संबंधित मामला है, सहकारिता से नहीं। यह रीलीफ में कैसे जायेगा। अगली बार इसको कर दिया जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सहकारिता विभाग से ही जवाब होगा माननीय सदस्य।

श्री रामदेव सिंह यादव : महेन्द्र बाबू नहीं पढ़ते हैं तो मैं ही पढ़ देता हूं।

खण्ड (1) क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण उत्तर बिहार सूखे से भयंकर रूप से ग्रसित है फलस्वरूप लोग भूखमरी के शिकार हैं। महोदय, भूखमरी का सवाल है सहकारिता में कैसे आ गया।

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसमें जिन पदाधिकारी ने मिसलीड किया मंत्रीजी को विभाग में । यहां तो कन्डीशन यह है कि लोग भूखमरी में हैं तकलीफ में हैं इसलिए सहकारिता ऋण वसूली का सवाल है। जिन पदाधिकारी ने मंत्रीजी को मिसलीड किया है उनको मैं आज ही दण्ड दे दूंगा।